न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 64/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 12.7.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम रातौती तहसील बांरा जिला बांरा (राज0)।

...अपीलाट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांरा।
2. सरंपच ग्राम पंचायत सम्बलपुर तहसील बांरा जिला बांरा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सूरजसिंह यादव अभिभाषक अपीलार्थी
श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक रेस्पो0 कम–2

निर्णय

दिनांक 7.3.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या–64/2018 उनवान प्रभूलाल बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बांरा आदि मे पारित निर्णय/ओदश दिनांक 14.6.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी पुराने ख0 नं0 279 मि0 256 मि0 297 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 407 रकबा 2.01 है0 ग्राम रारोती तहसील मे सिवायचक स्थित हैं जिस पर अपीलांट का लगभग 20–25 साल से कब्जा चला आ रहा है भूमि से अपीलांट को कभी बेदखल नही किया। विवादग्रसत सिवायचक भूमि पर कब्जे के समय बिना अपीलांट को सुने उक्त आराजी को पूर्व मे ग्राम पंचायत माथना को दिनांक 17.5.89 को आवंटन की गई थी। अपीलांट ने आदेश दिनांक 17.5.89 के विरूद्ध अपील पेश की है जो वर्तमान मे न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमर मे अपील संख्या 8496/2011 प्रभूलाल बनाम ग्राम पंचायत माथना जेरकार है। विवादग्रस्त आराजी जो ग्राम पंचायत माथना के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज है, मामला सब जूडिस होते हुये धारा 136 एलआरएक्ट के तहत रेस्पो0 कम–2 के नाम दर्ज करने मे कानूनी भूल की है धारा 136 एलआरएक्ट के तहत सक्षम अधिकारी भूल या त्रुटि सुधार सकता है ग्राम पंचायत माथना का नाम ग्राम पंचायत सम्बलपुर के स्थान पर त्रुटिवश नही दर्ज किया गया था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई ध्यान नही किया कि उक्त आराजी पर अपीलांट के लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी मे दर्ज होना चाहिये जिसे ग्राम पंचायत सम्ब्लपुर के नाम दर्ज करने मे कानूनी भूल की है। वर्तमान मे विवादित आराजी मे अपीलांट की सोयाबीन की फसल खडी हुई है। भूमि को काफी लगार कर कृषि योग्य बनाया है। रंजिशवश सरपंच ग्राम पंचायत सम्बलपुर आराजी खाता सं0 319 ख0 नं0 407 रकबा 2.01 है0 की बोली लगाकर फलस खुर्द बुर्द करना चाहता है ऐसा हुआ तो अपीलांट को फसल का नुकसान होगा ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश निरस्तनीय है। अतः उक्त तथ्यो के

परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प मंडोली मे पारित आअदेश दिनांक 14.6.18 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को ही दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी के पुराने ख0 नं0 279 व 256 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा थे जिसके नये खसरा नम्बर 407 रकबा 2.01 है0 ग्राम रारोती मे सिवायचक दर्ज थी जिस पर 20–25 वर्षो से अपीलांट काबिज काश्त है। दिनांक 17.5.89 को उक्त आराजी ग्राम पंचायत माथना के नाम आवंटन हुई थी जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे लम्बित चल रही है जिसमे ग्राम पंचायत माथना व सम्बलपुर पार्टी है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे ग्राम पंचायत सम्बलपुर पक्षकार है। उपखण्ड अधिकारी बारां ने लोकअदालत केम्प मंडोला मे सरपंच ग्राम पंचायत सम्बलपुर द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे उक्त विवादित आराजी को ग्राम पंचायत माथना के स्थान पर ग्राम पंचायत सम्बलपुर दर्ज कर खाता दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित कर वैधानिक त्रुटि की है। धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकार की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। उक्त प्रकरण मे अपीलांट पक्षकार नही है ना ही अपीलांट को सुना गया जबकि मेरा लगातार कब्जा व काश्त है तथा फसल खडी हुई है पटवारी रिपोर्ट से भी उक्त तथ्य स्पष्ट हो जाते है। विवादित आराजी के संबध मे प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे सबजुडिस होते हुये जेरअपील निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने बहस मे प्रकट किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का विधिक रूप से कोई हक हकूक निहित नही है। यह केवल मात्र अतिक्रमी की हेसियत रखता है। विवादित आराजी के संबध मे राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से उक्त उल्लेखित अपील मे कोई आर्डर नही है। मामला आवंटन से संबध मे है जिससे अपीलांट का कोई सरोकार नही है ना ही उक्त प्रकरण विवादित आराजी की निलामी बोली से सबधित है। विवादित भूमि सरकारी है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को इन्द्राज दुरूस्त करने का अधिकार है। विवादित आराजी को ग्राम पंचायत माथना के स्थान पर ग्राम पंचायत सम्बलपुर दर्ज कर अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील करने का अपीलांट को किसी भी प्रकार से अधिकार भी नही है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज योग्य है।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा द्वारा लोक अदालत/केम्प कोर्ट, केम्प मंडोला मे सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सम्बलपुर पं0 सं0 बांरा द्वारा ग्राम रोरोती स्थिति आराजी ख0 नं0 419 रकबा 2.01 है0 जो ग्राम पंचायत माथना के नाम दर्ज है जो पंचायत पुनर्गठन से ग्राम रारोती वर्तमान मे ग्राम पंचायत सम्बलपुर के अन्तर्गत होने से ग्राम रारोती मे दर्ज खाता ग्राम पंचायत माथना के स्थान पर ग्राम पंचायत सम्बलपुर के नाम दर्ज किये जाने बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी/तहसीलदार बारां से मुताबिक राजस्व रिकार्ड वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर विवादित आराजी को ग्राम पंचायत माथना के स्थान पर ग्राम पंचायत सम्बलपुर दर्ज कर अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का जेरअपील आदेश पारित किया है। प्रश्नगत

राज० स० आयु०
कोटा

अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी पर उसका 20–25 वर्षो से कब्जा है तथा फसल खडी हुई है प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे सबजूडिस है तथा जेरअपील आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है। अपीलांट के तर्क के संबध मे जेरअपील आदेश एवं पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि विवादित आराजी ग्राम रारोती पूर्व मे ग्राम पंचायत माथना के अन्तर्गत आती है जो पंचायत पुनर्गठन उपरांत उक्त ग्राम रारोती स्थिति विवादित आराजी ग्राम पंचायत सम्बलपुर के शामिल होने से सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सम्बलपुर द्वारा केम्प मंडोला मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी/तहसीलदार बांरा से मुताबिक राजस्व रिकार्ड रिपोर्ट प्राप्त कर विवादित आराजी को ग्राम पंचायत माथना के स्थान पर ग्राम पंचायत सम्बलपुर दर्ज कर अशुद्ध प्रविष्टि को शुद करने का आलोच्य आदेश क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2017/440–41 दिनांक 14.6.18 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित होना प्रकट नही होता है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सं0 2073–76 ग्राम रारोती विवादित आराजी बाराजी 2 दर्ज है अतः स्पष्ट है कि विवादित आराजी मे अपीलांट का विधिक रूप से कोई स्वत्व निहित नही है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य आदेश मे किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 7.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा